न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 127/2021

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान

प्रार्थीगण –
1.हड़वंतसिंह पुत्र बीजराजसिंह
2.लहराबाई पत्नि बीजराजसिंह
जाति राजपूत, निवासी रमजान की गफन
तहसील तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण –
1.तहसीलदार चौहटन
2.तनसिंह 3.चन्दनसिंह 4.चुतरसिंह पि.बीजराजसिंह
जाति राजपूत, निवासी रमजान की गफन
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– **श्री विक्रमसिंह भाटी**
विप्रार्थीगण :–

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 01.11.2021

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 से 4 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा रमजान की गफन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 572/304 रकबा 11.00 बीघा एवं खसरा सं. 574/305 रकबा 39.12 बीघा, कुल रकबा 50.12 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि पहले प्रार्थीगण के पिता व पति बीजराजसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड दर्ज थी तथा बीजराजसिंह के फौत होने पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 2 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई।

बीजराजसिंह के फौतगी पर पारित नामान्तरकरण में प्रार्थीगण का वास्तविक नाम क्रमशः हड़वंतसिंह व लहराबाई अंकित न कर उसके स्थान पर खेतसिंह व हरकंवर अंकित कर दिया जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम हड़वंतसिंह पुत्र बीजराजसिंह व लहराबाई पत्नि बीजराजसिंह है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई जांच किये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के गलत नाम इन्द्राज कर दिये। प्रार्थीगण के नाम से जारी परिवार राशनकार्ड, आधारकार्ड , मतदाता परिचय पत्र आदि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः हड़वंतसिंह व लहराबाई है।

प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने गलत नाम खेतसिंह व हरकंवर के स्थान पर वास्तविक नाम क्रमशः हड़वंतसिंह पुत्र बीजराजसिंह व लहराबाई पत्नि बीजराजसिंह दुरस्त करवाने के अधिकारी है। इसलिए यह आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प रमजान की गफन में पेश हुई। पक्षकारों के कैम्प में उपस्थित होने का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ। उभयपक्ष कैम्प में उपस्थित हुए । उभयपक्ष की ओर से कैम्प में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण के गलत नाम खेतसिंह पुत्र बीजराजसिंह एवं हरकंवर पत्नि बीजराजसिंह के स्थान पर हड़वंतसिंह पुत्र बीजराजसिंह व लहराबाई पत्नि बीजराजसिंह दुरस्त करने का निवेदन किया गया।

उपस्थित पक्षकारों को सुना गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा स्वीकार किया गया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा **131,136 RLR Act** का स्वीकार किया जाकर मौजा रमजान की गफन, तहसील चौहटन में खसरा सं. 572/304 रकबा 11.00 बीघा एवं खसरा सं. 574/305 रकबा 39.12 बीघा, कुल रकबा 50.12 बीघा में प्रार्थीगण का नाम खेतसिंह पुत्र बीजराजसिंह एवं हरकंवर पत्नि बीजराजसिंह के स्थान पर हड़वंतसिंह पुत्र बीजराजसिंह व लहराबाई पत्नि बीजराजसिंह दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प रमजान की गफन में मजमें आम सुनाया गया ।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:17 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम - ॥)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन